फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री भवानीशंकर जोशी नि. फ्लेट नं. 06, वरद अपार्टमेन्ट, सर्वोदय नगर, टकी रोड़, नालासोपारा ईस्ट, वसई, पिनकोड 401209 (महाराष्ट्र)

– अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट **– प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा – अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 28 / 2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 21.05.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट से जरिये पत्र क्रमांक :– सू.अ. / 2024 / 127 दिनांक 14.05.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम टिकड़ तहसील आमेट जिला राजसमन्द में स्थित खाता संख्या 209, आराजी नम्बर 2346 / 1993 खातेदार श्री एकलिंग पिता हंसा, जमनी पत्नि एकलिंग द्वारा जरिये रजिस्टर्ड दानपत्र रमेश पिता एकलिंग के नाम करवायी गयी। उक्त भूमि आंवटन कार्यालय सब डिविजनल आफिसर राजसमन्द, जिला उदयपुर द्वारा दिनांक 03.12.1992 को ग्राम टिकड़ तहसील आमेट जिला राजसमन्द में स्थित खाता संख्या 209, आराजी नम्बर 2346 / 1993 रकबा 1.000 है0 भूमि एकलिंग पिता हंसा, जमनी पत्नि एकलिंग ब्राहम्ण निवासी टीकड के नाम पर कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवटन नियम 1970 के नियम 20 के तहत आंवटन हुई थी। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी आमेट की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट द्वारा उपलब्ध करवा दी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आमेट को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	